दामारा वेंकटा मुरली कृष्णा राव

बनाम

गरुजुपल्ली सत्वथामा

(सिविल अपील संख्या 4364/2008)

14 जुलाई, 2008

[पीठ: अरिजीत पसायत, न्यायाधिपति, पी. सदाशिवम्, न्यायाधिपति]

भारतीय साक्ष्य अधिनियम- धारा 45- विशेषज्ञ का मत- ग्वाह के हस्ताक्षर की तुलना हेतु चाहा- वाद बाबत पैसों की वसूली में बहस अंतिम के स्तर पर- विचारण न्यायालय द्वारा ख़ारिज- उच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकरण की पुष्टि इस आधार पर के प्रार्थना पात्र प्रकरण में देरी कारित करने के लिये पेश किया है- अपील में, निर्धारित किया: प्रकरण के तथ्यों के देखते हुए, उच्च न्यायालय का निष्कर्ष उचित नहीं- विचारण न्यायालय को प्रार्थना पत्र निस्तारित करने का निर्देश।

प्रत्यार्थी ने अपीलकर्ता/प्रतिवादी के विरुद्ध वचनपत्र के आधार पर एक निश्चित राशि की वसूली बाबत् वाद दायर किया था। याचिकाकर्ता/प्रतिवादी ने उक्त वचनपत्र का विरोध करते हुए यह कथन किया के उसने वादी के पुत्र के साथ लेन-देन के समय EX B1 से B12 (रसीदें जो वादी के पुत्र ने निष्पादित की थी) में अंकित रक़म अदा कर अपनी देनदारी का भुगतान कर दिया था। बहस अंतिम के दौरान, अपीलकर्ता साक्ष्य पुनः खोलने तथा प्रत्यार्थी के पुत्र को गवाह के रूप में परीक्षित करवाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश कर अनुतोष चाहने में असफल रहा। तत्पश्चात्, उच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार प्रत्यार्थी का पुत्र CW1 के रूप में परीक्षित हुआ। CW1 ने EX B1 से B12 में अंकित अपने स्वयं के हस्ताक्षरों को पहचानने से इंकार कर दिया। तत्पश्चात्,

अपीलकर्ता ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 45, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 Ex B1 से B12 तक CW1 के हस्ताक्षरों की तुलना उसके स्वीकृत हस्ताक्षरों से करने हेतु सरकारी विशेषज्ञ को भेजे जाने के आशय से प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र ख़ारिज कर दिया। उच्च न्यायल्य ने इस आदेश के विरुद्ध की गई पुनरीक्षण याचिका को ये मानते हुए ख़ारिज कर दिया कि अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दायर करने का व्यवहार केवल प्रकरण में देरी कारीत करने की मंशा से था। इसीलिए, वर्तमान अपील दायर की गई।

आंशिक रूप से अपील को स्वीकृत करते हुए, न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया:

तथ्यात्मक परिदृश्य यह दर्शाता है के जिरह 24.7.2006 को दर्ज की गई थी और प्रश्नगत प्रार्थना पत्र 1.8.2006 को दायर किया गया था। प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 1 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार दायर किया गया था। प्रतायर्थी के ओर से कोई उपस्थिति दर्ज नहीं हुई। उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष के प्रार्थना पत्र पेश करने का एकमात्र उदेश्य प्रकरण को लंबित करना है, तथ्यात्मक रूप से उचित नहीं है। पूर्व में दर्ज की गई सिविल पुनरीक्षण याचिका 29.3.2006 निस्तारित कर दी गई थी तथा प्रत्यार्थी का पुत्र (CW 1) तलब किए जाने के बाद दिनांक 24.7.2006 को परीक्षित हुआ था। अपीलार्थी के अनुसार, प्रार्थना पत्र पेश करने का कारण उपरोक्त परीक्षण में CW1 द्वारा, दिये गये सुझावों को इंकार करने से उत्पन्न हुआ है। तथा उपरोक्त प्रार्थना पत्र अविलम्ब दिनांक 1.8.2006 को प्रस्तुत कर दिया गया था। उपरोक्त विवेचन के अनुसार, उच्च न्यायालय का आदेश अपास्त किया जाता है। विचारण न्यायालय अपीलकर्ता की प्रार्थना के संदर्भ में उचित आदेश पारित करे। [पैरा संख्या 4 और 5] [936- जी और एच; 937- ए, बी और सी]

सिविल अपील क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 4364/2008

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद द्वारा सिविल पुनरीक्षण याचिका संख्या 4100/2006 में पारित अंतिम निर्णय/आदेश दिनांकित 28.9.2006 के विरुद्ध

वाई. राजा गोपाल राव, वाई. रमेश, वाई. विस्मय और बी. वी. निरेन अपीलार्थी की ओर से।

निर्णय: डॉ. अरिजीत पसायत, न्यायाधिपति

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. इस अपील में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधिपति के अपीलकर्ता द्वारा दायर सिविल पुनरीक्षण याचिका को ख़ारिज करने के फैसले को चुनौती दी गई है। इस सिविल पुनरीक्षण याचिका में बॉबील के वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश की फाइल में आई. ए. 546/2006 में ओ. एस. नंबर 9/2004 में पारित आदेश दिनांकित 7.8.2006 को चुनौती दी गई थी। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 45 के अनुसार कार्यवाही के लिए प्रतिवादी/अपीलकर्ता द्वारा दायर प्रार्थना पत्र को ख़ारिज कर दिया था। प्रार्थन पत्र इस प्रकार से था के Ex B1 से B12 तक CW1 के हस्ताक्षरों की तुलना उसके बयान एवं उस पर तामील हुए समन पर उसके स्वीकृत हस्ताक्षरों से करने हेतु सरकारी विशेषज्ञ को भेजे जाये।

3. संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से हैं:

प्रत्यार्थी/वादी ने याचिकाकर्ता/प्रतिवादी के विरुद्ध प्रतिवादी द्वारा निष्पादित 1,50,000/- के वचनपत्र एवं इस राशि को 18% ब्याज पर अदा करने के आधार पर रुपए 2,28,150/- की वसूली का वाद दायर किया था। याचिकाकर्ता/प्रतिवादी ने उक्त वचनपत्र का विरोध करते हुए यह कथन किया के उसने वादी के पुत्र के साथ लेन-देन

के समय EX B1 से B12 में अंकित काफ़ी रक़में अदा कर दी थी एवं उसने उक्त राशि को अलग अलग तारीख़ों पर अदा कर अपनी देनदारी का भुगतान कर दिया था। वादी और प्रतिवादी द्वारा अपनी साक्ष्य बंद की जा चुकी थी। जब प्रकरण बहस अंतिम के स्तर पर आया तो याचिकाकर्ता/प्रतिवादी ने साक्ष्य पुनः खोले जाने का प्रार्थना पत्र (I.A. NO. 432/2005) तथा वादी के पुत्र गरुजुपल्ली श्रीरामूर्थी को तलब करने का प्रथना पत्र (I.A NO. 433/2005) पेश किया जिन्हें विचारण न्यायालय द्वारा ख़ारिज कर दिये गया। याचिकाकर्ता ने सी. आर. पी. संख्या 4684/2005 तथा 4883/2005 दायर कीं और इस न्यायालय ने आदेश दिनांकित 29.3.2006 द्वारा उक्त सिविल पुनरीक्षण याचिकाओं को अनुज्ञा प्रदान करते हुए याचिकाकर्ता/प्रतिवादी को वादी के पुत्र गरुजुपल्ली श्रीरामूर्थी को तलब करने की अनुमति प्रदान की। माननीय उच्च न्यायल्य द्वारा उपर्युक्त CRPs में पारित आदेश का सुसंगत भाग इस प्रकार से है :

> "विचारण न्यायालय द्वारा यह मत रखा गया कि यदि एक बार साक्ष्य बंद हो गई हो तो उसे पुनः खोला नहीं जा सकता। इस विस्तृत प्रस्ताव को मान्यता देना थोड़ा मुश्किल है। साक्ष्य बंद होने के पश्चात उसको पुनः खोलने का अवसर उत्पन्न हो सकता है। और ऐसा नहीं है के वाद कई वर्षों से लंबित है और याचिकाकर्ता इसके संबंध में उपयुक्त कदम उठाने में असावधान है। वाद दायर करने एवं उक्त प्रार्थना पत्रों के दायर होने के मध्य मुश्किल से एक वर्ष का अंतर है। वाद के सभी संभव दृष्टिकोणों से निस्तारण हेतु याचिकाकर्ता एक मौक़े का हक़दार है।
>
> उपर्योक्त कारणों के आधार पर सिविल पुनरीक्षण याचिकाएँ स्वीकार की जाती हैं तथा पुनरीक्षणों में पारित आदेशों को अपास्त किया जाता

है। परिणामस्वरूप, I.A NO. 432/2005 और 433/2005 स्वीकार की जाती हैं। विचारण न्यायालय प्रत्यार्थी के पुत्र गुरुजुपल्ली श्रीरामूर्थी को तलब करने हेतु उचित कदम उठाये। कोई भी आदेश खर्च लगा कर नहीं पारित किया जाएगा।''

उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त CRPs में पारित आदेश के संदर्भ में विचारण न्यायालय ने वादी के पुत्र गरुजुपल्ली श्रीरामूर्थी को समन जारी किए। साक्ष्य के दौरान, याचिकाकर्ता/प्रतिवादी ने गवाह का ध्यान EX B1 से B12, प्रतिवादी द्वारा निष्पादित की गई रसीदों की और केंद्रित किया। गवाह ने EX B1 और B12 पर कतिथ हस्ताक्षरों को पहचानने से इनकार कर दिया। विचारण न्यायालय ने साक्ष्य बंद कर प्रकरण को बहस अंतिम के लिए निहित किया। याचिकाकर्ता ने दोबारा से Ex B1 से B12 तक CW1 के हस्ताक्षरों की तुलना उसके बयान एवं उस पर तमिल हुए समन पर स्वीकृत हस्ताक्षरों से करने हेतु सरकारी विशेषज्ञ को भेजे जाने बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 45 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (I.A NO. 546/2005) प्रस्तुत किया। वादी ने उक्त प्रार्थना पत्र का ज़रिए प्रतिदावा पेश कर विरोध किया। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने ज़रिए आदेश दिनांकित 7.8.2006, अभिलेख पर मौजूद सामग्री के अवलोकन तथा उभय पक्षकाराण को सुनने के पश्चात, उक्त प्रार्थना पत्र को ख़ारिज कर दिया था। यह निर्धारित किया गया के विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तुत मत निर्णायक साक्ष्य नहीं है बल्के यह केवल साक्ष्य का एक भाग है।

उच्च न्यायल्य ने प्रार्थना पत्र प्रमुख रूप से इस आधार पर ख़ारिज किया था के अपीलकर्ता की मंशा वाद में देरी कारित करने की है। इस तथ्य को अंकित किया गया कि अपीलकर्ता द्वारा साक्ष्य बंद होने के पश्चात, प्रकरण में बहस अंतिम की स्तर पर

EX B1 से EX B12 तक सरकारी विशेषज्ञ को भिजवाने का प्रार्थना पत्र वाद में देरी कारित करने की मंशा से प्रस्तुत किया गया है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय ने ग़लत आधारों पर कार्यवाही की है। जिरह 24.7.2006 को दर्ज की गई थी और प्रश्नगत प्रार्थना पत्र 1.8.2006 को दायर किया गया था। प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 1 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार दायर किया गया था। प्रतायर्थी की ओर से कोई उपस्थिति दर्ज नहीं हुई है। उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष के प्रार्थना पत्र पेश करने का एकमात्र उदेश्य परकारण को लंबित करना है, तथ्यात्मक रूप से उचित नहीं है क्योंकि वास्तविक तथ्यात्मक परिदृश्य यह दर्शाता है कि पूर्व में दर्ज की गई सिविल पुनरीक्षण याचिका 29.3.2006 निस्तारित कर दी गई थी तथा प्रातार्थी का पुत्र(CW 1) तलब किए जाने के बाद दिनांक 24.7.2006 को परीक्षित हुआ था। अपीलार्थी के अनुसार, प्रार्थना पत्र पेश करने का कारण उपरोक्त परीक्षण में CW1 द्वारा, दिये गये सुझावों को इंकार करने से उत्पन्न हुआ है। तथा उपरोक्त प्रार्थना पत्र अविलम्ब दिनांक 1.8.2006 को प्रस्तुत कर दिया गया था।

उपरोक्त विवेचन को देखते हुए, हम उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को अपास्त करते हैं। विचारण न्यायालय अपीलकर्ता की प्रार्थना के संदर्भ में उचित आदेश पारित करे। अपील बिना किसी खर्चे के आदेश से उपर्योक्त स्तर तक स्वीकार की जाती है।

(अपील आंशिक रूप से स्वीकृत)

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी ज्योत्सना मीना (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।